राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 88 / 2024

सेवु लाल —अपीलार्थी

बनाम

मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, (वन बल), जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 04.03.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री पी. आर. मेहता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अनीस अहमद

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. निजी प्रत्यर्थी श्री शांतिलाल खटीक की ओर से प्रत्यर्थी बनने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस पर उभय पक्ष को सुनकर निजी प्रत्यर्थी को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रत्यथी संख्या 2 पक्षकार बनाया गया है
2. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वनपाल के पद पर दिनांक 22.04.2006 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.03.2016 के द्वारा अपीलार्थी को रेंज अधिकारी ग्रेड—द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज डूंगरा उपवन संरक्षक बांसवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी को रेंज वन अधिकारी के ग्रेड द्वितीय के पद से क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड प्रथम को पदोन्नत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज जाखम उपवन संरक्षक वन्य जीव चितौड़गढ से रेंज प्रतापगढ़ उपवन संरक्षक प्रतापगढ में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज प्रतापगढ़ उपवन संरक्षक प्रतापगढ से रेंज डूंगरा उपवन संरक्षक बांसवाड़ा में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज डूंगरा उपवन संरक्षक बांसवाड़ा से पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर में मात्र 12 माह की अल्प समयावधि में बिना किसी

प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। राजस्थान राज्य वन स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–4) का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। राजस्थान वन विभाग स्थानान्तरण नीति के तहत किसी भी कार्मिक को 2 वर्ष की अवधि के भीतर स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज डूंगरा उपवन संरक्षक बांसवाड़ा में कार्य करने दिया जावें।

4. राजकीय विद्वान् अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलार्थी की तथ्यों को नकारते हुए जाहिर किया है कि स्थानान्तरण नीति में 2 वर्ष के भीतर स्थानान्तरण नीति के तहत कर्मचारी का स्थानान्तरण बांधित नहीं है। विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण किया जा सकता है एवं अपीलार्थी अपने वर्तमान पद पर अपने गृह जिले में पदस्थापित है, जो सामान्य परिस्थितियों मे बांधित है। सामान्य परिस्थिति में गृह जिले में नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थिति के अन्य जो परिस्थितियां उनके अलावा गृह जिले में पदस्थापन नहीं रह सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा किये गये कथन भ्रामक है एवं किया गया स्थानान्तरण आदेश विभाग द्वारा समस्त परिस्थितियो के एवं दृष्टि के मध्य नजर किया गया है, जो नियमानुकूल है।

5. जहॉ तक स्थानान्तरण नीति का प्रश्न है वह अनुलग्नक–4 के बंधक 1.1 के अनुसार निम्न प्रकार है प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी, अधिकारी/कार्मिक 2 वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा। अतः स्थानान्तरण नीति कर्मचारी के 2 वर्ष के स्थानान्तरण को किसी प्रकार से निषेध नहीं करती है, विशेष परिस्थितियों में संभव है, राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह जाहिर किया जाना कि व्यक्ति स्थानान्तरण नीति 1.3 राजपत्रित अधिकारी एवं क्षेत्रीय द्वितीय संवर्ग के राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारी को उसके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जावेगा। इसके स्पष्टीकरण का 2(क) में यह स्पष्ट किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि जिले में अपीलार्थी को मिलाकर यह संख्या 5 प्रतिशत से अधिक की होती है, लिहाजा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश उचित वैध एवं नीति अन्तर्गत है, निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 के अभिभाषक का कथन है कि रेंज डूंगरा में उपवन संरक्षक के पद पर निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण किया गया है वह वहॉ पर निजी प्रत्यर्थी ने पद भी ग्रहण कर चुका है और स्थानान्तरण से पूर्व पदस्थापित स्थान से कार्यमुक्त हो चुका

है। अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार किये जाने पर निजी प्रत्यर्थी के हित` निश्चित रूप से प्रभावित होगे एवं जटिलाएं उत्पन्न होगी।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

7. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज डूंगरा उपवन संरक्षक बांसवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."***

8. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
9. आदेश आज दिनांक 07.03.24 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य